भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1886
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निधि का संवितरण

1886. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में करूर संसदीय क्षेत्र सहित पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) और आवास सहित सर्वेक्षणों के तहत चिह्नित लाभार्थियों का ब्यौरा और कुल संख्या क्या है;

(ख) राज्य में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक आवंटित किए गए, स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों की संख्या क्या है;

(ग) इस संबंध में संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि योजना के लिए केंद्र के हिस्से की निधि जारी करने में विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) तमिलनाडु और करूर संसदीय क्षेत्र में पीएमएवाई -जी के लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) और अंतिम आवास + 2018 सूची में चिन्हित किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के पीडब्ल्यूएल में चिन्हित लाभार्थियों की संख्या	**अंतिम आवास + 2018 सूची में चिन्हित किए गए लाभार्थियों की संख्या**

तमिलनाडु	5,31,475	5,31,718

आवास सॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार 6.3.2025 की स्थिति के अनुसार

करूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र:

जिला (विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र)	**सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के पीडब्ल्यूएल में चिन्हित लाभार्थियों की संख्या**	**अंतिम आवास + 2018 सूची में चिन्हित लाभार्थियों की संख्या**
डिंडीगुल (वेदासंदूर)	26	539
करूर (अरवाकुरिची)	162	227
करूर (करूर)	314	337
करूर (कृष्णरायपुरम)	226	524
तिरुचिरापल्ली (मनपाराइ)	437	980
पुदुक्कोट्टई (विरमलाई)	954	4,060
कुल	**2,119**	**6,667**

आवास सॉफ्ट रिपोर्ट के अनुसार 6.3.2025 की स्थिति के अनुसार

(ख) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रारंभ से यानी वित्त वर्ष 2016-17 से 06.03.2025 की स्थिति के अनुसार राज्य को आवंटित कुल लक्ष्य , स्वीकृत आवास और पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या निम्नानुसार है:

आवंटित लक्ष्य	**स्वीकृत आवास**	**पूर्ण हो चुके आवास**
9,57,825	7,47,728	6,35,220

(ग) तमिलनाडु राज्य को पीएमएवाई -जी की शुरुआत यानी वित्त वर्ष 2016-17 (06.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के बाद से केंद्रीय अंश के रूप में कुल 5,695.09 करोड़ रुपये (पीएमजनमन सहित) जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत, राज्य को निधियां, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जारी की जा रही है , जो कि उन लाभार्थियों की आवश्यकता पर आधारित है जिन्हें आवास स्वीकृत किए गए हैं , राज्य नोडल खाते में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि, कार्यक्रम दिशानिर्देशों और वित्त मंत्रालय , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार

निर्धारित वास्तविक और वित्तीय प्रगति की उपलब्धियां हैं। पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य को एक इकाई मानकर सीधे जारी की जाती है। विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को ये निधियां संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी की जाती है। केंद्रीय निधियां जारी करना, राज्य मिलान अंश की निधियां जारी करने , उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट स्तर तक तथा योजना के दिशा -निर्देशों के अनुसार उपयोग करने सहित निधियों के उपयोग पर निर्भर है।

तमिलनाडु राज्य के पास 06.03.2025 की स्थिति के अनुसार एसएनए में 742 करोड़ रुपये शेष है। राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह एसएनए में उपलब्ध निधियों का उपयोग करें तथा केन्द्रीय अंश की अगली किस्त जारी करने के लिए पात्र बनने हेतु एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*****